ओमप्रकाश बनाम गोविन्दराम मु.नं. 127/18

दिनांक	आज्ञा पत्र	
17.4.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. रेस्पो. तलब के नोटिस जारी अदमपेशी होने पर जारी हो वास्ते तलबी दिनांक 19.5.25 को पेश हो।	Noted 17-4-25
19.5.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. वास्ते इंतजार तामील। दिनांक 17.6.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
17.6.25	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 15.7.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
15.7.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप. बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 1-8-25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
1.8.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 127 / 2018

1 औमप्रकाश पुत्र भींवराज जाति ब्राह्मण
2 रामस्वरूप उर्फ रामनाथ पुत्र बलदेवाराम
3 सीताराम पुत्र गणपत जाति ब्राह्मण
4 शिवभगवान पुत्र गणपत जाति ब्राह्मण निवासीगण किसनपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 गोविन्दाराम पुत्र रूघनाथ प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी किसनपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
2 प्रहलाद पुत्र रूघनाथ प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीगण किसनपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
3 श्रीनिवास उर्फ रामनिवास पुत्र रूघनाथप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी हाल निवासी कालूराम संस्कृत स्कूल के पास वार्ड नम्बर 9 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 शिवकुमार पुत्र लादूराम
5 महेश कुमार पुत्र लादूराम
6 सुरेश कुमार पुत्र लादूराम
7 शान्ति बेवा लादूराम
8 जगदीश पुत्र रामनन्द समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण किसनपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
9 रामकुवार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण किसनपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल निवासी ग्राम गाजूसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
10 नन्दलाल पुत्र शिवप्रसाद
11 परमेश्वर पुत्र शिवप्रसाद फौत (नाम हजफ)
11 / 1 प्रदीप कुमार पुत्र परमेश्वर
11 / 2 केशर कुमारी पुत्री परमेश्वर

12 ज्ञयाना बेवाह शिवप्रसाद फौत (नाम हजफ)
जाति ब्राह्मण निवासीगण किसनपुरा हाल आबाद घुमान्दा तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज.।
13 रामवतार पुत्र बलदेवराम हाल आबाद सीकर।
14 सोहनी बेवाह जयनारायण (नाऔलाद फौत) (नाम हजफ)
15 मुकनाराम फौत (नाम हजफ)
15/1 मनभरी बेवा मुकनाराम नाम हजफ
15/2 मन्जु देवी पुत्री मुकनाराम
15/3 ओमप्रकाश पुत्र मुकनाराम
15/4 संतरा देवी पुत्री मुकनाराम
15/5 बलबीर पुत्री मुकनाराम
15/6 लक्ष्मी देवी पुत्री मुकनाराम
जाति ब्राह्मण निवासीगण किसनपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज. ।
16 रामकिशन दत्तक पुत्र केसरदेव जाति ब्राह्मण
17 गीता देवी पुत्री केसरदेव
18 नानूराम फौत
18/1 भागौती देवी बेवा नानूराम
18/2 बिमला देवी पुत्री नानूराम
18/3 प्रेमदेवी पुत्री नानूराम
19 सुरजाराम फौत
19/1 सलोचना देवी बेवा सुरजाराम
19/2 राधेश्याम पुत्र सुरजाराम
19/3 कमला देवी पुत्री सुरजाराम
19/4 मंजू देवी पुत्री सुरजाराम
जाति ब्राह्मण निवासीगण किसनपुरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज. ।
20 तहसीलदार महोदय फतेहपुर भूमिधारक।
21 राज. सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर।
22 मनोहरी बेवा भींवराज फौत (नाम हजफ)

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर
मुकदमा नम्बर 24/2008 दिनांक 08.06.2018
उनवानी ओमप्रकाश आदि बनाम गोविन्दराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 1/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 24/2008 में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा संशोधन खाता, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 30/1, 30/2, 31, 36, 44, 45, 73, 74 वाके ग्राम किसनपुरा व खसरा नम्बर 9, 100, 116, 100/252 वाके ग्राम रोसावां का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते वक्त अपना ज्यडिसियल माईन्ड अप्लाई नही कर निर्णय विरूद्ध कानून पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 08.06.2018 को कैम्प कोर्ट बिराणियां में पारित किया है जबकि उक्त कैम्प कोर्ट के वक्त पर दोनों ही पक्ष मौजूद नहीं थे और नहीं ही कोई सूचना थी। केवल कोटा पूर्ति के लिए राजस्व कैम्प में निर्णय पारित कर दिया गया जिसकी जानकारी तक भी वादी/अपीलान्ट पक्ष को नहीं थी इसलिए भी निर्णय विरूद्ध कानून होने से निरस्तनीय है। निर्णय दिनांक 08.06.2018 की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

जानकारी भी प्रार्थी/अपीलान्ट को नहीं हो पाई और प्रार्थी दिनांक 12.11. 2018 को पत्रावली की जानकारी करने के लिए गया तो पता चला कि वाद का निर्णय तो पूर्व में ही हो चुका है तब प्रार्थी ने नकल के लिए आवेदन पेश किया और निर्णय की नकल दिनांक 13.11.2018 को प्राप्त हुई इसके पश्चात प्रार्थी ने कानूनी राय लेने के लिए अधिवक्ताओं से सम्पर्क किया और सम्पूर्ण जानकारी कर दस्तावेजात की संपूर्ण नकले प्राप्त कर उक्त अपील बिना किसी देरी के पेश की जा रहीं है। अपील अन्दर मियाद कानूनी मियाद है, जो क्षमा योग्य है, जिसके लिये दफा 5 का आवेदन अलग से पेश किया जा रहा है। अपील स्वीकार की जाकर निर्णय विचारण न्यायालय मु.नं. 24/2008 दिनांक 08.06.2018 को खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली दिनांक 08.06.2018 तक आदेशिका के अनुसार साक्ष्य प्रतिवादी में नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य बंद कर उभयपक्ष की बहस सुने बिना, उभयपक्ष को सुचित किये बिना पत्रावली कैम्प कोर्ट बिराणियां में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में उभयपक्ष अथवा उनके अधिवक्ता के उपस्थित होने एवं बहस सुने जाने का अंकन भी नहीं है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन

प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 1/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल [illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर